

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक<sup>०</sup>) द्वितीय उ०प्र०, इलाहाबाद

पत्रांक :-नि०वि०-२/पेंशन अधिवर्षिता से०नि०/०३/ 3216

दिनांक- 24-8-2017

कार्यालय आदेश

निम्नलिखित खण्डीय लेखाकार/खण्डीय लेखाधिकारी शासकीय सेवा से 60 वर्ष की अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने के उपरान्त अपने नाम के सम्मुख लिखित तिथि से सेवानिवृत्त होंगे।

क्रम संख्या	व्यक्तिगत संख्या	नाम	पद	जन्मतिथि	सेवानिवृत्त तिथि
1	515	अब्दुल हाफिज खान	व०ख०ले०	03.08.1958	31.08.2018
2	307	मोहर सिंह शाक्यवार	व०ख०ले०	10.08.1958	31.08.2018
3	877	सरद कुमार	व०ख०ले०	18.09.1958	30.09.2018
4	769	मो० वासिफ अखतर	व०ख०ले०	25.09.1958	30.09.2018
5	529	श्री प्रकाश	व०ख०ले०	27.09.1958	30.09.2018
6	706	सुरेश चन्द्र	व०ख०ले०	05.10.1958	31.10.2018
7	702	बी० डी० सुर्बचश्य	व०ख०ले०	18.10.1958	31.10.2018
8	903	शिव लाल	व०ख०ले०	08.12.1958	31.12.2018
9	468	प्रभात कुमार सिंह	व०ख०ले०	22.12.1958	31.12.2018
10	488	सम्पूर्णानन्द वर्मा	व०ख०ले०	29.12.1958	31.12.2018
11	497	अरविन्द कुमार	व०ख०ले०	01.01.1959	31.12.2018
12	264	सियाराम वर्मा	व०ख०ले०	29.01.1959	31.01.2019
13	532	विनोद कुमार गुप्ता	व०ख०ले०	03.03.1959	31.03.2019
14	522	वासिफ अमीन खान	व०ख०ले०	16.04.1959	30.04.2019
15	490	मो० आरिफ सिद्धीकी	व०ख०ले०	23.04.1959	30.04.2019
16	779	बसंत लाल यादव	ख०ले०-1	01.07.1959	30.06.2019
17	462	दिव्य प्रकाश	व०ख०ले०	09.07.1959	31.07.2019
18	463	श्याम बहादुर	व०ख०ले०	15.07.1959	31.07.2019
19	452	नवीन चन्द्र पाण्डेय	व०ख०ले०	10.09.1959	30.09.2019
20	541	ओम प्रकाश सिंह	व०ख०ले०	05.10.1959	31.10.2019
21	764	नरेश चन्द्र	व०ख०ले०	10.10.1959	31.10.2019
22	499	राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	व०ख०ले०	05.12.1959	31.12.2019
23	450	बृजेश कुमार मिश्रा	व०ख०ले०	08.12.1959	31.12.2019
24	588	जय सिंह-2	व०ख०ले०	01.01.1960	31.12.2019
25	591	विंध्याचल यादव	व०ख०ले०	01.01.1960	31.12.2019
26	1026	ब्रम्ह पाल सिंह	व०ख०ले०	10.01.1960	31.01.2020
27	458	राज कुमार श्रीवास्तव	व०ख०ले०	12.01.1960	31.01.2020
28	817	प्रभु दयाल मीना	व०ख०ले०	20.01.1960	31.01.2020
29	316	हरीश चन्द्र	व०ख०ले०	31.01.1960	31.01.2020
30	675	राम कृष्ण अग्रवाल	व०ख०ले०	31.01.1960	31.01.2020
31	477	राजेन्द्र प्रसाद द्वितीय	व०ख०ले०	12.02.1960	28.02.2020
32	601	प्रदीप कुमार गुप्ता	व०ख०ले०	14.05.1960	31.05.2020
33	453	ओम प्रकाश श्रीवास्तव	व०ख०ले०	01.07.1960	30.06.2020



1. सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी/अधिकासी अभियन्ताओं/कार्य अधीक्षकों आदि से अपेक्षा की जाती है कि उनके खण्ड/कार्यालय में नियुक्ति खण्डीय लेखाकार/लेखाधिकारी की सेवा पुस्तिका में अंकित जन्म तिथि को भलि भांति जांच करके देख लें और यदि उक्त सूची के अतिरिक्त अन्य कोई खण्डीय लेखाकार/लेखाधिकारी माह अगस्त 2018 से जुलाई 2020 तक 60 वर्ष की अधिवर्षिता आयु पूरी कर रहा हो तो इसकी सूचना पंजीकृत डाक से अधोहस्ताक्षरी को तुरन्त प्रेषित करना सुनिश्चित करें
2. उपरोक्त सूची में वर्णित नाम का खण्डीय लेखाकार/खण्डीय लेखाधिकारी यदि उनके खण्ड कार्यालय में नियुक्ति है तो उनकी सेवा पुस्तिका में अंकित जन्म तिथि का मिलान सूची में अंकित जन्म तिथि से कर लें यदि कोई अन्तर प्रकाश में आये तो उनकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।
3. सेवानिवृत्त होने वाले खण्डीय लेखाकारों/खण्डीय लेखाधिकारियों के पेंशन प्रपत्र इस कार्यालय द्वारा भेजे जायेंगे जिसे सेवा पुस्तिका सहित 3 प्रतियों में वांछित विवरण भरकर भेजना आवश्यक है
4. सेवानिवृत्त खण्डीय लेखाकारों/खण्डीय लेखाधिकारियों से सेवा का सत्यापन प्राथमिकता के आधार पर समय से कर लिया जाये तथा पेंशन प्रकरण सेवा निवृत्त से 6 माह पूर्व इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाये ध्यान रहे कि प्रकरण विलम्ब से अथवा अपूर्ण भेजने पर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे
5. किसी भी स्थिति में अवकाश नगदीकरण अनन्तिम पेंशन उपादान का भुगतान इस कार्यालय की स्वीकृति के बिना न किया जाये।
6. सेवानिवृत्त के दिन खण्डीय लेखाकार/खण्डीय लेखाधिकारी को इस कार्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को प्रेषित करें।



  
23/8/17  
उप महालेखाकार/निर्माण

पत्रांक :- नि० वि०-2/पेंशन अधिवर्षिता से०नि०/कोड 3/

दिनांक-

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. श्री ..... वरि० खण्डीय लेखाधिकारी/खण्डीय लेखाधिकारी..... को इस आशय से प्रेषित कि अपना पेंशन प्रपत्र पूर्ण कर सेवा निवृत्त के छः माह पूर्व इस कार्यालय को तीन प्रतियों में अधिकासी अभियन्ता के माध्यम से भेजें।
2. अधिकासी अभियन्ता/कार्य अधीक्षक..... को इस आशय से प्रेषित की माह 8/2018 से 7/2020 तक 60 वर्ष की अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने वाले खण्डीय लेखाकार/खण्डीय लेखाधिकारी को सूची जन्मतिथि सहित इस कार्यालय को अविलम्ब भेजना सुनिश्चित करें।

